न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बारां

(पीठासीन अधिकारी हीरालाल मीणा आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या –66 / 2017

माणकचंद आयु 77 वर्ष पुत्र श्री राधाबल्लभ जाति सुनार निवासी कोयला हाल निवासी रजतगृह कॉलोनी मकान नं0 99 गेट नं0 1 नेनवा रोड बूंदी जिला बूंदी (राज0) —— वादी

बनाम

1– गोपाललाल पुत्र राधाबल्लभ जाति सुनार निवासी चौमुखा बाजार बारां

2– रमेशचन्द्र पुत्र राधाबल्लभ जाति सुनार निवासी मकान नं0 2 खाती कॉलोनी बारां जिला बारां

3– कृष्णवतार पुत्र श्री प्रेमबिहारी जाति सुनार

4– हेमराज पुत्र प्रेमबिहारी जाति सुनार

5– कमलाबाई पुत्री प्रेमबिहारी जाति सुनार

निवासीगण तिसाया हाल निवासी सदर बाजार स्वर्णकार मंदिर के पास श्योपुर जिला श्योपुर (म0प्र0)

6– कृष्णाबाई पुत्री प्रेमबिहारी पत्नी श्यामसुन्दर जाति सुनार निवासी मकान नं0 117 रजतगृह कॉलोनी गेट नं0 1 नेनवा रोड बूंदी

7– संतोषबाई पुत्री प्रेमबिहारी जाति सुनार पत्नी रामरतन जाति सुनार निवासी डुंण्डी पोस्ट ऑफिस की गली जिला टोंक

उप खण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

8– राज0 सरकार जर्ये तहसीलदार बारां ––––– प्रतिवादीगण

अन्तर्गत धारा 53, 188 आर टी एक्ट

उपस्थित – श्री ओ.पी. मेहता एडवोकेट वादी की ओर से

श्री बालमुकन्द गूजर एडवोकेट प्रतिवादी क्रम 1 की ओर से

प्रतिवादी क्रम 2 लगायत 7 की ओर से एकपक्षीय

निर्णय दिनांक – 31.7.19

पत्रावली पेश हुई प्राथमिक डिक्री दिनांक 3–5–2018 की पालना मे तहसील बारां से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया गया जो तहसील बारां द्वारा दिनांक 21–6–2019 को विभाजन प्रस्ताव प्राथमिक डिक्री की पालना मे तैयार किया गया व दिनांक 26–6–2019 को तहसील बारां से भिजवाया गया जो दिनांक 2–7–2019 को इस न्यायालय को प्राप्त हुआ । विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर बहस सुनी गई ।

हमने पत्रावली का एवं विभाजन प्रस्ताव तहसील बारां से प्राप्त होने पर गौर किया गया प्राथमिक डिक्री के अनुसार वादी का हिस्सा खसरा नं0 17 दक्षिणी रकबा 0.87 हेक्टे0 माल प्रथम लगानी 11.31रूपये को पृथक किये जाने एवं नक्शे मे लालस्याही से तरमीम किये जाने काआदेश दिया जाना न्यायोचित समझते है प्रतिवादीगण का हिस्सा पूर्ववत संयुक्त रूप से रहेगा ।

अतः अंतिम डिक्री पारित किया जाकर ग्राम कोयला की आराजी खसरा

अधिकारी

नं0 17 दक्षिणी रकबा 0.87 हेक्टे0 वादी का पृथक किया जाकर पृथक से

Scanned by CamScanner

लगान 11.31 रूपये निर्धारित किया जाकर नक्शे मे लालस्याही से अंकन किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है वादी के पक्ष मे प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वह वादी के कब्जे काश्त मे किसी प्रकार की मदालखत न तोस्वयं करे न अपने किसी प्रतिनिधी से करावे वादी को शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने दे ।अंतिम डिक्री पर्चा जारी हो ।

आज दिनांक 31.7.19 को खुले न्यायालय मे निर्णय लिखाया जाकर सुनाया गया पत्रावली फैसल शुमार हो ।

(हीरालाल मीणा आर.ए.एस.)

उपखण्ड अधिकारी बारां

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Heera Lal Meena
Date: 2019.08.09 17:45:53 IST
Reason: SelfAttested
Location: